परिपत्र संख्या–न्याय–2–वापसी / 2015–16 / 1493 / 1516076

/ वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0,
(न्याय अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 15 मार्च, 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर(क0नि0)वा0क0,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि I.T.C. एवं T.D.S. से सम्बन्धित. रिफण्ड योग्य धनराशि का रिफण्ड किये जाने के पूर्व सम्बन्धित अधिकारी के स्तर से उनके जमा का सम्यक् सत्यापन नहीं किया जा रहा है। धनराशि के राजकीय कोष में जमा के सत्यापन के बिना रिफण्ड किये जाने की दशा में राजस्व क्षति की प्रबल सम्भावना रहती है।

उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर प्रणाली–2008 के नियम–51 के अन्तर्गत यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि रिफण्ड की धनराशि तथा इस सम्बन्ध में देय धनराशि के ब्याज का भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कर की प्राप्ति के रिसीट हैड से किया जायेगा।

रिफण्ड का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि कर के दायित्व से अधिक जमा धनराशि को वापस किया जाए। अर्थात किसी भी धनराशि का रिफण्ड केवल उसी दशा में किया जा सकता है, जबकि धनराशि जमा सत्यापित हो। ऐसी मूलभूत व्यवस्था व्यापार कर अधिनियम–1948 तथा उ0प्र0मूल्य संवर्धित कर अधिनियम–2008 में स्थापित की गयी है तथा राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से समय–समय पर मुख्यालय द्वारा परिपत्रों के माध्यम से ऐसे निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इसी कम में रिफण्ड से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1– निर्यातकों के मामले में इनपुट टैक्स केडिट से सम्बन्धित धनराशि का प्रोवीजनल रिफण्ड करने के पूर्व कर निर्धारक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि निर्यातक द्वारा खरीदे गये माल पर विकेता को अदा किया गया कर राजकीय कोष में जमा किया जा चुका है। इसका सत्यापन विकेता व्यापारी के कर निर्धारक अधिकारी से किया जाना आवश्यक है। इस धनराशि के राजकोष में जमा के सत्यापन के पश्चात ही निर्यातक के कर निर्धारक अधिकारी द्वारा इनपुट टैक्स केडिट से सम्बन्धित रिफण्ड का निस्तारण किया जायेगा।

2– संविदाकार के मामले में संविदाकार को किये गये भुगतान पर संविदी के स्तर से स्रोत पर काटी गयी कर की राशि के राजकीय कोष में जमा से सम्बन्धित विवरण ऑनलाइन फार्म–31 में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात निर्धारित कर से अधिक जमा धनराशि का रिफण्ड किया जायेगा। जिन मामलों में संविदाकार द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष, संविदी द्वारा संविदाकार को प्रदत्त मैनुअल फार्म–31, प्रस्तुत किये जाते हैं, उन मामलों में फार्म–31 में अंकित T.D.S. की धनराशि के राजकीय कोष में जमा के सत्यापन के उपरान्त ही रिफण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

3– सामान्य व्यापारियों द्वारा जिन मामलों में रिफण्ड के दावे प्रस्तुत किये जाते हैं उन मामलों में I.T.C. की धनराशि के राजकीय कोष में जमा के सत्यापन के उपरान्त ही रिफण्ड का निस्तारण किया जायेगा।

परिपत्र संख्या–1086 दिनांक 10.11.2004 एवं परिपत्र संख्या–1213012 दिनांक 22.05.2012 के अन्तिम प्रस्तर में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि रिफण्ड कार्यवाही के सम्बन्ध में सघन मानीटरिंग का दायित्व सम्बन्धित ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0 का होगा तथा जोन स्तर पर ऐसे मामलों में पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व जोनल एडी0कमि0ग्रेड–1 वा0क0 का होगा। समय–समय पर उपरोक्तानुसार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी यदि राजस्व सुरक्षित नहीं है, तो यह खेदजनक है।

सम्बन्धित ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0 अपने सम्भाग में जारी किये जाने वाले रिफण्ड के मामलों का समग्रता से भलीभाँति परीक्षण करते हुए राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करेगें। यदि उक्त निर्देश के उपरान्त भी ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में आता है कि बिना समुचित परीक्षण के रिफण्ड जारी किये जाने के फलस्वरूप राजस्व की क्षति हुई है तो उसके लिए कर निर्धारण अधिकारी एवं सम्बन्धित ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0 का समान रूप से दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

15/03/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,उ0प्र0

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0 / अपील) वाणिज्य कर।
2. समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / कारपोरेट)वाणिज्य कर।
3. समस्त अनुभाग प्रभारी, मुख्यालय।
4. मैनुअल अनुभाग, मुख्यालय।
5. समस्त डिप्टी कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / सचलदल)वाणिज्य कर।
6. समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / सचलदल)वाणिज्य कर।

(सन्तोष कुमार गंगे)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

0/e